बजट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताने के लिए प्रदेश भर से किसान मु.मंत्री निवास पर इकट्ठा हुये। किसानों ने बजट के प्रति प्रसन्नता जाहिर की और मुख्यमंत्री का माला पहनाकर अभिनंदन किया।

कृषक हितैषी बजट के लिए प्रदेश भर से आए किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, अन्नदाता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है

- **शर्मा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि देश में सर्वाधिक शासन करने वालों ने किसान की चिंता नहीं की।**
- **राज्य बजट में कृषक कल्याण के लिए 96 हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किए जाने पर किसानों ने खुशी जताई।**

जयपुर, 12 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तित बजट-2024-25 में कृषि संबंधी ऐतिहासिक घोषणाओं के लिए किसानों द्वारा आयोजित अभिनन्दन और आभार समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपए करने तथा गेहूं की एमएसपी बढ़ाने तथा पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ऋण देने जैसे निर्णय हमारी किसान एवं पशुपालक हितैषी नीति का प्रतीक हैं।

शर्मा ने कहा कि किसान परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण का संकल्प पूरा करने के लिए राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में कृषि विकास एवं कृषक कल्याण के लिए 96 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का प्रावधान किया गया है। राजस्थान इरीगेशन वाटर ग्रिड मिशन के अन्तर्गत 50 हजार करोड़ रुपये तथा रन ऑफ वाटर ग्रिड के अन्तर्गत 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवाये जायेंगे। इसके साथ ही राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 650 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में एक हजार 430 करोड रुपये से अधिक की लागत के कार्य करवाने, एक लाख 45 हजार कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने तथा ऊँटपालकों को सहायता राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने सहित अनेक प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बजट में 'कुसुम योजना' के माध्यम से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिये जाने का कार्य वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसान भी दिन में खेती संबंधी कार्य निपटाकर सरकारी कर्मचारियों की तरह शाम को घर लौट सकेंगे। इस वर्ष 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जाएंगे। इसके अंतर्गत 5 लाख नये किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टीकल्चजर मिशन एवं ऑर्गेनिक एंड कन्वेंरशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने तथा किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 10 एग्रो क्लाइमेट ज़ोन्स में 2-2 कलस्टर विकसित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पशुपालन बड़ा आर्थिक संबल है। इसको ध्यान में रखते हुए पशुपालन संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास के लिए 250 करोड रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा।

ऐतिहासिक परिवर्तित बजट 2024-25 में किसानों के लिए दी गई अनेक सौगातों से किसान बेहद खुश नजर आए। किसानों ने ढोल-मंजीरे बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। राज्य के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, पाली, दौसा तथा अलवर सहित विभिन्न जिलों से आए किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा कृषक कल्याण के लिए भारी बजट का आवंटन यह दर्शाता है कि यह किसान हितैषी सरकार है। किसानों ने मुख्यमंत्री की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और 'किसानों को मिला पूरा सम्मान... विकसित बनता राजस्थान'... जैसे नारे भी लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रतीक स्वरूप हल, और बाजरे की फसल भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों से संवाद भी किया। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, सांसद सी.पी. जोशी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना सहित बड़ी संख्या में किसान एवं आमजन उपस्थित थे।

'परीक्षाओं के पेपर छात्र लीक नहीं करते, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं'

बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में पेपरलीक का मुद्दा उठाया

- **चौधरी ने एस.ओ.जी. के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वी.के. सिंह की तारीफ की और सरकार से कहा कि इनके हाथ मत बांध देना, ये पेपरलीक का पर्दाफाश करके रहेंगे।**
- **चर्चा में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर ने अपनी ही पार्टी की पूर्व सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग पर निशाना साधा और कहा, "प्रदीप पाराशर को पकड़ा है पर उसे लगाने वाला कौन था।"**

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 12 जुलाई। बाड़मेर के बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि पेपर लीक विद्यार्थी नहीं करते, बल्कि इनके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। इस पर भाजपा विधायक चुटकी लेते हुए बोले- 'कौनसा कोचिंग...यह भी बता दो'।

इस पर हरीश चौधरी बोले- इतनी गंभीर बात को हल्के में नहीं उड़ाओ, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। एक या दो कोचिंग संस्थान को बंद करने से इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इसकी जड़ में जाना पड़ेगा।

चौधरी ने पेपर लीक की जांच में लगाए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वी. के. सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने बहुत सक्षम अधिकारी लगाया है। बस ध्यान रखना, उनके हाथ बांध मत देना। ऐसे सक्षम अधिकारियों के हाथ कोई दूसरा नहीं बांधता है, बल्कि सदन में बैठे हम ही ऐसा करते हैं। नीट, रीट से लेकर सभी परीक्षाओं के लिए कह रहा हूं। पेपर लीक करने वाले दोषियों को जेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है।

भाजपा विधायक पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि हमने तो कहा था कि जांच सीबीआई को दे दो। आप लोगों ने ही सीबीआई में जाने से रोका। इस पर हरीश चौधरी ने कहा कि आप तो मेरे जैसे सामान्य विधायक हो, लेकिन कैबिनेट के पास तो पावर है जांच सीबीआई को देने की, आप और मैं दोनों गुजारिश कर लेते हैं।

हरीश चौधरी ने कहा कि हम सब वाहवाही लूटने के लिए युवाओं को सरकारी नौकरी के सपने दिखा रहे हैं। वाहवाही लूटने की हमने भी बहुत कोशिश की। राजस्थान का युवा बहुत जागरूक है। उन्होंने हमको हमारी जगह दिखा दी।

इसी बीच सदन में सचिन पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर ने भी इशारों-इशारों में गहलोत सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे सुभाष गर्ग पर निशाना साधा। बजट बहस में बोलते हुए भाकर ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे थे कि हमने पेपरलीक को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) गठित की है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने मछलियां पकड़ी हैं। अगर हम भी पेपरलीक में शामिल हैं तो हमें भी पकड़ो।

सिर्फ नारे और भाषणों से काम नहीं चलेगा। जिस पेपरलीक को आप मुद्दा बनाकर सत्ता में आए थे, उस पर काम भी करो। आपने प्रदीप पाराशर को पकड़ा है, लेकिन उसको वहां लगाने वाला कौन था?

उन्होंने कहा, मुझे पता है कि वहां तक आपकी जांच नहीं जाएगी, क्योंकि आर.एल.डी., केंद्र में आपके साथ सत्ता में भागीदार है। इसलिए जनता से जो वादा करके आप आए हो, उस पर काम करो। ज्ञातव्य है कि आर.एल.डी. से विधायक सुभाष गर्ग को विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने समर्थन दिया था।

'हैडलाइन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समाचारों की सुर्खियां बटोरने का दूसरा प्रयास है जिन्होंने पिछले दस वर्षों से भारत की जनता पर अघोषित आपतकाल लगा रखा है, जिसने उन्हें व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय की शक्ति प्रदान की थी, मोदी की 4 जून 2024 नैतिक पराजय हुई है, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा।"

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि "ये एक ऐसे 'नॉन-बायोलॉजिकल' प्रधानमंत्री हैं जिनकी विचारधारा वाले परिवार ने नवम्बर 1949 में भारतीय संविधान को इसलिए अस्वीकार कर दिया था कि यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। ये एक ऐसे 'नॉन-बायोलॉजिकल' प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए लोकतंत्र का मतलब केवल डेमो-कुर्सी है।"

25 जून, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार ने सत्ता व्यापक रूप से "घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों को ज्यादातियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा था।"

शाह ने कहा कि 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने "तानाशाही मानसिकता का खुला प्रदर्शन करते हुए" देश पर आपातकाल थोप कर भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था।"

कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने जोधपुर की एम.बी.एम. युनिवर्सिटी बंद करने की मांग की

- **पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने वर्ष 2021 में जयनारायण व्यास युनिवर्सिटी की जमीन के टुकड़े करके यह युनिवर्सिटी बनाई थी**
- **हरीश चौधरी ने कहा कि एम.बी.एम. युनिवर्सिटी खोलने का कोई तुक नहीं था। इसे खोलते वक्त कुतर्क दिया गया कि इस युनिवर्सिटी को "सैंटर ऑफ एक्सलैंस बनाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? तीन साल में क्या हालात बन गए हैं, दोनों विश्वविद्यालय अंतिम सांस ले रहे हैं।"**

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 12 जुलाई। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2021 में जोधपुर में खोली गई एम.बी.एम. युनिवर्सिटी को बंद करने की मांग शुक्रवार को विधानसभा में उठाई। हरीश चौधरी ने कहा कि वर्ष 2021 में जयनारायण युनिवर्सिटी की जमीन के दो टुकड़े करके एम.बी.एम. विश्वविद्यालय खोला गया। उसका कोई नया तुक नहीं था, इसे खोलते वक्त कुतर्क दिया गया कि इस युनिवर्सिटी को सैंटर ऑफ एक्सलैंस बनाया जाएगा। यह भी कुतर्क दिया गया कि अलुमनाई वित्तीय तौर पर सहायता करेगी, लेकिन क्या हुआ? 3 साल में क्या हालात बने हुए हैं? दोनों विश्वविद्यालय अंतिम सांस ले रहे हैं।

चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय की कक्षाओं में सन्नाटा है, यह सन्नाटा प्रदेश के भविष्य का सन्नाटा है, क्योंकि वहां कोई कक्षा भी नहीं लग रही। वहां के प्रोफेसर रिटायर हो चुके, उन्हें आज पेंशन नहीं मिल रही है। रिटायर्ड प्रोफेसर को फुटपाथ पर लाकर बैठा दिया है, वो अनशन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का मूल काम शोध है, दोनों विश्वविद्यालयों में शोध कार्य नहीं हो रहा है। दोनों विश्वविद्यालय केवल परीक्षा कराने के नाम पर चल रहे हैं।

हरीश चौधरी ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सेंटर फॉर एक्सलैंस के आधार पर युनिवर्सिटी बनाई, लेकिन तत्कालीन राजस्थान सरकार ने उसके लिए एक कदम भी नहीं उठाया। दोनों विश्वविधालयों को वापस मर्ज करने का एक्ट लाया जाए। एम.बी.एम. युनिवर्सिटी एक्ट 2021 को खत्म कर जयनारायण व्यास विश्वविधालय नाम से एक ही विश्वविधालय हो, जिससे वहां रिचर्स, नियमित शिक्षण गतिविधियां, दूसरे प्रोफेसरों की नियुक्ति समय पर हो सके।

'राजनीति में हार-जीत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पारिवारिक गढ़ अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ तथा उनकी बहन प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। ज्ञातव्य है कि रायबरेली सीट भी गांधी परिवार का एक अन्य गढ़ है तथा यह सीट सोनिया गांधी के राज्यसभा सांसद बन जाने पर खाली हो गई थी।

कांग्रेस की इच्छा राहुल गांधी को अमेठी के बजाय केरल की वायनाड सीट तथा रायबरेली सीट से चुनाव लड़ाने की थी। स्वयं राहुल गांधी भी यही चाहते थे। इसलिए अमेठी सीट पर ईरानी के विरूद्ध किशोरी लाल शर्मा खड़े कर दिये गये थे।

जब शर्मा की उम्मीदवारी की घोषणा हो गई थी, तो स्मृति ईरानी, जो उस समय महिला तथा बाल विकास की केन्द्रीय मंत्री थीं, ने उपहास करते हुये कहा था, "मेरा मानना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी तथा पूरे गांधी परिवार का अमेठी की लड़ाई से पीछे हटना महत्व रखता है क्योंकि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, यह अमेठी से कांग्रेस पार्टी की हार की घोषणा है।"

स्मृति ईरानी ने मीडिया से कहा था, "यह पहला अवसर नहीं है, जब राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं। वे 2019 में भी भाग गये थे। अन्तर केवल इतना है कि पिछली बार उन्हें वायनाड में राहत मिल गई थी लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव न लड़ना ही उचित समझा है। इस प्रकार, यह दूसरा अवसर है, जब वे अमेठी की लड़ाई को छोड़कर चले गये हैं।

स्मृति ईरानी ने अपनी हार, जो उनके लिये, भाजपा के लिये तथा चुनाव पर नज़र रखने वालों के लिये एक आघात थी, के बाद ईरानी ने कहा था कि उनका जीवन एवं उत्साह अभी भी चरम पर है।

स्मृति ईरानी ने "एक्स" पर पोस्ट किया था, -"(मेरा) जीवन ऐसा ही है।..... मेरे जीवन का एक दशक एक गाँव से दूसरे गाँव जाने, (लोगों के) जीवन बनाने, आशाओं और आकांक्षाओं को पोषित करने, इन्फ्रास्ट्रक्चर सड़क, नाली, खड़जा, बाईपास, मैडिकल कॉलेज तथा और भी बहुत कुछ- पर काम करने में गुजरा है। मैं उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो हार तथा जीत में मेरे साथ खड़े हुये हैं। आज का दिन उत्सव के रूप में मनाने वालों को बधाई। और यह पूछने वालों कि "(मेरे) जोश की क्या स्थिति है?, को मेरा कहना है कि यह अब भी हाई है।"

लोक अदालत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बहिष्कार किया है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि काफी लंबे समय से वकीलों की मांग को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को प्रतिवेदन दिए गए हैं, लेकिन उन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसके चलते वकील समुदाय में रोष व्याप्त है। इसके अलावा कुछ न्यायाधीश अधिवक्ताओं को उचित सम्मान भी नहीं देते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। ऐसे में लोक अदालत के शुभारंभ समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है।

लोक अदालत को लेकर प्राधिकरण के सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि प्री-लिटिगेशन और लंबित मुकदमों में से दस लाख मुकदमे लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किए जा चुके हैं।

इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ अदालतों में कुल 512 बेंचों का गठन किया गया है। हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्यपीठ में पांच बेंच और जयपुर पीठ में चार बेंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत में राजीनामा हो सकने वाले सिविल, आपराधिक, सेवा, श्रम, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक सहित अन्य प्रकृति के प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया है।

मु.मंत्री भजनलाल ने छत्तीसगढ़ के सी.एम. को धन्यवाद दिया

- **छत्तीसगढ़ सरकार ने पी.के.ई.बी. कोल ब्लॉक के लिए 91.21 हैक्टेयर वन भूमि के प्रयोग की अनुमति दी है, इससे राजस्थान के बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति हो सकेगी।**

जयपुर, 12 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति के लिए हसदेव अरण्य कोलफील्ड में संचालित परसा ईस्ट एवं कांता बासन (पी.ई.के.बी.) कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टयर वनभूमि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की 4340 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने में काफी सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कांता एक्सटेंशन से संबंधित पर्यावरण मंजूरी हेतु आवश्यक सार्वजनिक सुनवाई व वन मंजूरी का पंजीकरण शीघ्र करवाने की व्यवस्था कराने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि परसा कोल ब्लॉक पर खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु भूमि पर पेड़ों की कटाई करवाकर भूमि को आर.वी.यू.एन. को सौंपने की व्यवस्था कराई जाए। पी.ई.के.बी. कोल ब्लॉक से खनन कार्य निरंतर जारी रखने तथा वित्त वर्ष 2024-25 में 18 एम.टी.पी.ए. की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए आवश्यक 108 हेक्टेयर भूमि पेड़ों की कटाई करवाकर एवं वित्त वर्ष 2025-26 से अगले छः वर्षों के खनन कार्यों हेतु आवश्यक 411 हेक्टेयर भूमि पेड़ों की कटाई के पश्चात आर.वी.यू.एन. को सौंपने की व्यवस्था कराई जाए।

आर.एस.एस. मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत

मुंबई, 12 जुलाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के कार्यकर्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को सबूत के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया है। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को देर से कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, ठाणे में भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 जून को कुंटे द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज किया था। कुंटे राहुल गांधी के खिलाफ मामले में शिकायतकर्ता हैं।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कथित अपमानजनक भाषण की प्रतिलिपि (ट्रांसक्रिप्ट) को सबूत के तौर पर स्वीकार किया था, जिसके आधार पर ये मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने इसे इस आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि मजिस्ट्रेट का आदेश कुंटे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन है, जो उसी मानहानि की शिकायत से संबंधित है।

भाजपा नेता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अक्सद पर अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में आर.एस.एस. ऑफिस के पास हमला हुआ था, जिसमें अकरम पुत्र अक्खा, वसीम पुत्र दिलावर, इरफान पुत्र दिलावर, इमरान निवासी बेलाका गांव और साजिद अक्सद के साथ भारी मार पीट की और उसके हाथ पैर तोड़ दिए।

- **जानकारों का कहना है कि यह आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरु कर दी है।**

इन आरोपियों में से किसी एक को 2 साल पहले शादी समारोह में यासीन के बड़े भाई ने किसी बात पर थप्पड़ मारा था, और डांट दिया था। लोगों का कहना है कि उसी रंजिश में पहले यासीन के भतीजे पर हमला किया और अब यासीन की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही हैं।

ई.डी. की "पिक एण्ड चूज़" पॉलिसी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

मु.मंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई.डी. को एकरूपता बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा उसका आचरण भी सुसंगत और एकरूप होना चाहिए

नई दिल्ली, 12 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉण्डरिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बैंच ने कहा, "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं।" बैंच ने यह भी कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से कारावास में हैं लेकिन यह निर्णय केजरीवाल को करना है कि वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ई.डी. गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग करते समय उन सामग्रियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो आरोपी को दोषमुक्त करती हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के मामले में ईडी पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं अपना सकती है। कोर्ट ने कहा, "किसी अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को फंसाने वाली सामग्री को चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्हें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दोषमुक्त और दोषमुक्त करने वाली अन्य सामग्रियों पर भी समान रूप से विचार करना होगा।" कोर्ट ने कहा कि आई.पी.सी. की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति का प्रयोग अधिकारी की मर्जी और पसंद के अनुसार नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि ईडी दर्ज मामलों में चुनिंदा आधार पर जांच और अन्य कार्यवाही कर रही है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई.डी. को एकरूपता बनाए रखनी चाहिए।

इसके अलावा उसका आचरण भी सुसंगत और एकरूप होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी के लिए एक ही नियम के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जुड़े डेटा पर भी कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि मामलों को निपटाने के लिए ईडी के पास कोई एक समान नीति है या नहीं?

नेपाल में पुष्प दहल कमल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार गिरी

काठमांडु, 12 जुलाई। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई है। शुक्रवार को संसद में वह विश्वासमत हासिल नहीं कर पाए जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले सप्ताह उनकी सरकार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 69 वर्षीय प्रचंड को 63 वोट मिले, जबकि विश्वासमत प्रस्ताव के विरोध में 194 वोट पड़े। विश्वासमत हासिल करने के लिए कम से कम 138 वोट की जरूरत थी। प्रचंड 25 दिसंबर, 2022 को पद संभालने के बाद चार बार विश्वासमत हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस बार उन्हें असफलता मिली।

पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन-यूएमएल ने सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। इसने नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता-साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पिछले सप्ताह प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा पहले ही अगले प्रधानमंत्री के रूप में ओली का समर्थन कर चुके हैं। नेपाली कांग्रेस के पास प्रतिनिधि सभा में 89 सीट हैं, जबकि सीपीएन-यूएमएल के पास 78 सीट हैं। इस तरह दोनों की संयुक्त संख्या 167 है, जो निचले सदन में बहुमत के लिए आवश्यक 138 से कहीं अधिक है।

लिलीपूल का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को देने के लिए आमादा हैं। जबकि देवराज और लालित्या का लिलीपूल पर कोई स्वामित्व ही नहीं है। ऐसे में जब तक मूल वाद का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक संपत्ति को किसी अन्य को अंतरित नहीं करने और इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने देवराज और लालित्या को आदेश दिए हैं कि वे संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में लंबित मूल वाद के निस्तारण कर इस पर यथा स्थिति बनाए रखें।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908